बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

विषयः– गृह विभाग के अन्तर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) पटना को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किये जाने के संबंध में

गृह विभाग के अन्तर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) पटना एक महत्वपूर्ण निदेशालय है, केन्द्र सरकार ने सैनिक बोर्ड संगठन के लिए एक सुदृढ़ीकरण समिति का गठन तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किया था। उक्त समिति की अनुशंसाओं की समीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा की गई और तत्-पश्चात स्वीकृत अनुशंसाओं को राज्य सरकार गृह विभाग राज्य सैनिक बोर्ड के संकल्प संख्या 232 दिनांक 01 फरवरी 1984 द्वारा लागू किया गया और सैनिक कल्याण बोर्ड को उत्क्रमित कर निदेशालय का दर्जा दिया गया तथा निदेशक का स्टेटस विभागाध्यक्ष के रूप में किया गया। विभागाध्यक्ष की सारी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ निदेशक को प्रदत्त की गई। राज्य सैनिक बोर्ड के कार्यालय का नाम सैनिक पुनर्वास निदेशालय (वर्तमान में सैनिक कल्याण निदेशालय) घोषित किया गया और इसे गृह विभाग के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप में कार्य करने का निर्णय हुआ। केन्द्र सरकार की अनुशंसा के आलोक में इस निदेशालय के संकल्प संख्या 1741 दिनांक 01 दिसम्बर 1986 द्वारा इस निदेशालय के अधीन पदों का सृजन सचिवालय स्तर के वेतनमान में किया गया तथा व्यय के लिए सचिवालय के मुख्य शीर्ष–2052– में राशि का आवंटन किया गया है। सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) में निम्नांकित पद विभिन्य संकल्पों द्वारा सृजित हैः–

1.	प्रशाखा पदाधिकारी	–	01 (एक) पद– 9300–34800 ग्रेड–पे–4800
2.	सहायक	–	04 (चार) पद– 9300–34800 ग्रेड–पे–4600
3.	निजी सहायक	–	01 (एक) पद– 9300–34800 ग्रेड–पे–4600
4.	लेखापाल	–	01 (एक) पद– 9300–34800 ग्रेड–पे–4200
5.	सहायक लेखापाल	–	01 (एक) पद– 5200–20200 ग्रेड–पे–2400
6.	निम्नवर्गीय लिपिक	–	02 (दो) पद– 5200–20200 ग्रेड–पे–1900

सैनिक कल्याण निदेशालय के उपर्युक्त सृजित पद सचिवालय के अनुरूप है तथा इन पदो का वेतनमान भी सचिवालय के अनुरूप है। गृह विभाग बिहार पटना द्वारा सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) पटना को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

2. अतएव सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है:–

I. गृह विभाग के अधीन सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) पटना को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया जाता है।

II. सैनिक कल्याण निदेशालय में भविष्य में नियुक्ति/पदस्थापन/प्रोन्नति आदि की कार्रवाई बिहार सचिवालय सेवा नियमावली,2010 के अनुरूप होगी।

III. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली,2010 को संशोधित करते हुए उसके प्रशिष्ट–I के क्रमांक 62 पर सैनिक कल्याण निदेशालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0– 19–14/2011 सा0प्र0............../पटना–15, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0– 19–14/2011 सा0प्र0 1498/पटना–15, दिनांक 30.1.12

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमडलीय आयुक्त/ महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.12
सरकार के संयुक्त सचिव